Academe *Journal of Education & Psychology* *ISSN: 2249-040X*
Volume-16, Issue-1, Year-2026 (January-June) *Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.25)*
PP: 236-243 *Journal Website* www.academejournal.in

बिहार में बाल श्रम उन्मूलन हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों की जवाबदेही और प्रभाव के संदर्भ में मूल्यांकन अध्ययन

संजय कुमार झा

पूर्व शोधार्थी

समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

सारांश

बिहार में बाल श्रम उन्मूलन का कार्य केवल कानून या सरकारी योजनाओं के भरोसे नहीं चलता, क्योंकि बाल श्रम का बड़ा भाग असंगठित और घर-आधारित क्षेत्रों में अदृश्य बना रहता है। इसी कारण स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका पहचान, शिकायत-समर्थन, बचाव-समन्वय, पुनर्वास-अनुवर्तन और सामाजिक मानदंड परिवर्तन तक फैली हुई है। पर "कितना कार्य हुआ" का निष्कर्ष तभी वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से भरोसेमंद होता है जब स्वयंसेवी संगठनों की जवाबदेही और प्रभाव को एक साथ, स्पष्ट मानदंडों पर परखा जाए। यह मूल्यांकन-अध्ययन एक कार्यान्वयन-उन्मुख ढाँचा प्रस्तुत करता है जिसमें जवाबदेही के आयाम, वैधानिक अनुपालन, वित्तीय पारदर्शिता, डेटा-ट्रैकिंग, शिकायत-निवारण, साझेदारी-समन्वय और समुदाय-उत्तरदायित्व, और प्रभाव के आयाम, बचाव के बाद शिक्षा-निरंतरता, पुनः-श्रम में लौटने की रोकथाम, सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग तथा वैधानिक प्रतिरोध, को परिणाम-आधारित संकेतकों से जोड़ा गया है। अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि बचाव-आधारित उपलब्धियाँ आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं हैं; वास्तविक प्रभाव स्कूल-में-टिकाव और दीर्घकालिक अनुवर्तन से मापा जाना चाहिए। जवाबदेही के बिना प्रभाव टिकाऊ नहीं बनता, और प्रभाव-मापन के बिना जवाबदेही औपचारिकता बनकर रह जाती है।

कुंजी शब्द: जवाबदेही, प्रभाव-मूल्यांकन, स्वयंसेवी संगठन, बाल श्रम, बचाव-पुनर्वास, शिक्षा-निरंतरता, अनुवर्तन, बिहार

1. परिचय

बाल श्रम उन्मूलन का प्रश्न अक्सर "कानून लागू करो" या "बचाव अभियान चलाओ" तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि व्यवहार में यह एक बहु-एजेंसी सामाजिक-प्रशासनिक प्रक्रिया है। भारत में बाल एवं किशोर श्रम पर निषेधात्मक प्रावधान मौजूद हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चों से काम कराना, विशेषकर खतरनाक या शोषणकारी स्थितियों में, स्वीकार्य नहीं है। [1], [2] पर बिहार जैसे संदर्भ में समस्या का एक बड़ा हिस्सा असंगठित अर्थव्यवस्था, घरेलू श्रम, छोटे उद्यम, खेत-सहायता और आपूर्ति-श्रृंखला के उन हिस्सों में होता है जहाँ निरीक्षण और प्रमाण-संग्रह कठिन है। यही वह स्थान है जहाँ स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका राज्य-तंत्र की "पहुँच-खाई" को भरने के

© Copyright @ Authors

रूप में उभरती है, वे समुदाय में प्रवेश कर पाते हैं, विश्वास-आधारित सूचना जुटा पाते हैं और बच्चों को सहायता-प्रणालियों से जोड़ने में सेतु का काम करते हैं।

वैश्विक स्तर पर भी बाल श्रम एक व्यापक समस्या बनी हुई है और हालिया संयुक्त अनुमान यह दर्शाते हैं कि लाखों बच्चे अभी भी श्रम में हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा-निरंतरता, सामाजिक सुरक्षा और प्रवर्तन-क्षमता में हल्की सी कमजोरी भी बच्चों को काम की ओर धकेल सकती है। [3] बिहार में जिला-स्तरीय संकेत यह दिखाते हैं कि 5–14 आयु-वर्ग में बाल-श्रम की संख्या उल्लेखनीय है, जो समस्या के व्यापक सामाजिक भूगोल की ओर संकेत करता है। [4] इस पृष्ठभूमि में बिहार में बाल श्रम उन्मूलन हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों का मूल्यांकन केवल "कार्यक्रम-गिनती" नहीं, बल्कि सामाजिक शासन का मूल्यांकन है: क्या संगठन जवाबदेह हैं, क्या वे अधिकार-आधारित हस्तक्षेप करते हैं, और क्या उनका प्रभाव टिकाऊ है।

इस शोध-पत्र का लक्ष्य यह बताना है कि जवाबदेही और प्रभाव को अलग-अलग तराजू पर तौलने से भ्रम पैदा होता है। यदि संगठन बहुत जवाबदेह दिखे पर प्रभाव मापने का ठोस ढाँचा न हो, तो जवाबदेही कागजी हो सकती है। और यदि प्रभाव के दावे बड़े हों पर जवाबदेही कमजोर हो, तो वे दावे सत्यापन-योग्य नहीं रह जाते। इसलिए यह अध्ययन दोनों को एकीकृत ढाँचे में रखकर बिहार-संदर्भ में मूल्यांकन दृष्टि प्रस्तुत करता है।

2. अध्ययन-उद्देश्य और अनुसंधान-प्रश्न

इस मूल्यांकन-अध्ययन के उद्देश्य चार हैं। पहला उद्देश्य बिहार में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को कार्य-श्रृंखला के रूप में स्पष्ट करना है, पहचान, शिकायत-समर्थन, बचाव-समन्वय, पुनर्वास, शिक्षा-पुनर्स्थापन और अनुवर्तन। दूसरा उद्देश्य जवाबदेही के प्रमुख आयामों का मानकीकरण करना है ताकि संगठन-स्तर पर न्यूनतम और उन्नत मानदंड तय किए जा सकें। तीसरा उद्देश्य प्रभाव-मापन को आउटपुट-केंद्रित दृष्टि से हटाकर परिणाम-केंद्रित दृष्टि में ले जाना है, अर्थात बचाव की संख्या नहीं, बल्कि बच्चों का स्कूल में टिकाव, पुनः-श्रम में लौटने की रोकथाम, और परिवार-स्तर जोखिम-दबाव में कमी। चौथा उद्देश्य बिहार के लिए ऐसी नीति-अनुशंसाएँ देना है जिनसे स्वयंसेवी संगठनों की उपयोगिता बढ़े और दुरुपयोग/औपचारिकता घटे।

इन उद्देश्यों के आधार पर प्रमुख अनुसंधान-प्रश्न यह हैं कि बिहार में बाल श्रम उन्मूलन में स्वयंसेवी संगठन किन चरणों में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, किन चरणों में उनका कार्य कमजोर पड़ता है, जवाबदेही का न्यूनतम मानक क्या हो, और प्रभाव का न्यूनतम व टिकाऊ मानक क्या माना जाए।

3. जवाबदेही और प्रभाव का संयुक्त मॉडल

इस अध्ययन में जवाबदेही को तीन स्तरों पर समझा गया है। पहला स्तर वैधानिक और वित्तीय जवाबदेही का है, जिसमें पंजीकरण, नियामकीय अनुपालन, वित्तीय विवरण, और

© Copyright @ Authors

अनिवार्य खुलासे शामिल होते हैं। भारत में स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए नियामकीय व्यवस्था और पंजीकरण-आधारित पहचान तंत्र उपलब्ध हैं, जो संगठनों की वैधानिक स्थिति और कार्य-विवरण को ट्रैक करने में मदद करते हैं। [5], [6]

दूसरा स्तर प्रशासनिक-साझेदारी जवाबदेही का है, जिसका अर्थ है कि संगठन श्रम, शिक्षा, पुलिस, बाल कल्याण समिति, जिला प्रशासन और सहायता-सेवाओं के साथ समन्वय करते हुए काम करें, ताकि किसी बच्चे का मामला संस्थागत "खाइयों" में न खो जाए। बाल श्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत/प्रवर्तन का मंच और पुनर्वास-ढाँचे इसी समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। [7], [9]

तीसरा स्तर समुदाय-उत्तरदायित्व का है, जिसमें परिवारों और बच्चों के प्रति पारदर्शिता, सहमति-आधारित हस्तक्षेप, गोपनीयता, शिकायत-निवारण और लगातार संवाद शामिल होता है। यह स्तर बाल अधिकार के दृष्टिकोण से निर्णायक है, क्योंकि बाल श्रम का मामला केवल "कानून-उल्लंघन" नहीं बल्कि "सुरक्षा और गरिमा" का प्रश्न भी है।

प्रभाव को इस अध्ययन में दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहला तत्काल प्रभाव, जिसमें जोखिम-पहचान, आपात सहायता, सुरक्षित स्थान तक पहुँच और प्रारंभिक संरक्षण शामिल हैं। दूसरा टिकाऊ प्रभाव, जिसमें स्कूल में पुनःनामांकन, सीखने-समर्थन, सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग और 12–24 महीनों तक अनुवर्तन शामिल है। संशोधित पुनर्वास-दिशानिर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि मुख्यधारा शिक्षा में समावेशन और निगरानी-समर्थन प्रभाव का केंद्रीय लक्ष्य है। [9] इसी कारण प्रभाव-मापन को समय-आधारित और परिणाम-आधारित रखना आवश्यक है।

4. शोध पद्धति

यह अध्ययन प्राथमिक सर्वेक्षण या संगठन-वार फील्ड-ऑडिट का दावा नहीं करता। यह एक द्वितीयक-साक्ष्य आधारित मूल्यांकन-अध्ययन है जिसमें सरकारी दस्तावेज़, कार्यक्रम-दिशानिर्देश, आधिकारिक पोर्टल-सूचना, नीति-अध्ययन तथा सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदन/रिपोर्टें आधार सामग्री हैं। कानूनी-ढाँचे और प्रवर्तन-दिशा के लिए बाल श्रम कानून और उसके संशोधन का उपयोग किया गया है। [1], [2]

पुनर्वास और अनुवर्तन-ढाँचे के लिए संशोधित दिशा-निर्देश और उसके साथ जुड़े संस्थागत संकेतक लिए गए हैं। [9] बिहार-स्तर पर समस्या-विस्तार के लिए राज्य बाल-अधिकार कार्ययोजना की जिला-वार बाल-श्रम सारणी उपयोग में ली गई है। [4] स्वयंसेवी संगठनों के "दावे" और "आत्म-प्रस्तुति" समझने के लिए कुछ संगठनों के सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यक्रम-विवरण संदर्भित हैं। [11], [12], [19]

इस पद्धति का लाभ यह है कि यह "मानकीकरण" और "न्यूनतम मानदंड" स्पष्ट करती है, जबकि इसकी सीमा यह है कि प्रत्येक संगठन के क्षेत्र-स्तरीय प्रभाव का प्रत्यक्ष सत्यापन इस लेख के दायरे में नहीं है। फिर भी, नीति-निर्माण और अकादमिक चर्चा के लिए एक मजबूत मूल्यांकन-ढाँचा देना इस अध्ययन का केंद्रीय योगदान है।

© Copyright @ Authors

5. बिहार में बाल श्रम उन्मूलन की प्रणाली और स्वयंसेवी संगठनों का स्थान

बाल श्रम उन्मूलन की प्रणाली में तीन मूल घटक हैं। पहला घटक पहचान और शिकायत-प्राप्ति है, जहाँ समुदाय-स्तरीय सूचना, विद्यालय-आधारित संकेत, और हेल्पलाइन/पोर्टल-आधारित शिकायतें महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा घटक बचाव और संरक्षण है, जहाँ प्रशासन, पुलिस, श्रम निरीक्षण और बाल-कल्याण समिति जैसी इकाइयाँ औपचारिक कार्रवाई करती हैं। तीसरा घटक पुनर्वास और मुख्यधारा शिक्षा है, जहाँ बच्चे को स्कूल-तंत्र में वापस जोड़ना, सीखने-समर्थन देना और परिवार-स्तर जोखिम कम करना आवश्यक होता है। [9], [10]

स्वयंसेवी संगठन इन तीनों घटकों में अलग-अलग रूप से उपस्थित होते हैं। वे पहचान में समुदाय-प्रवेश और सामाजिक विश्वास के कारण निर्णायक हो सकते हैं। वे बचाव-समन्वय में दस्तावेजीकरण, पीड़ित-सहायता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने में योगदान दे सकते हैं। और वे पुनर्वास-अनुवर्तन में सबसे अधिक आवश्यक होते हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र की क्षमता और संसाधन-सीमाएँ अक्सर दीर्घकालिक अनुवर्तन में कमजोर पड़ती हैं। NCLP जैसे पुनर्वास-ढाँचों पर उपलब्ध अध्ययन संकेत देते हैं कि मुख्यधारा में टिकाऊ समावेशन और अनुवर्तन की गुणवत्ता प्रभाव-निर्धारक कड़ी है। [10]

6. जवाबदेही का मूल्यांकन

जवाबदेही का पहला मानदंड वैधानिक अनुपालन है। यदि संगठन का पंजीकरण, पहचान-विवरण और वित्तीय पारदर्शिता स्पष्ट नहीं, तो उसके प्रभाव-दावे सत्यापन-योग्य नहीं रह जाते। इसलिए वैधानिक पहचान-तंत्र और नियामकीय रिपोर्टिंग व्यवस्था जवाबदेही के आधार स्तंभ हैं। [5], [6] यहाँ मूल्यांकन संकेतक यह हैं कि संगठन का वैधानिक अस्तित्व स्पष्ट है या नहीं, उसकी वार्षिक रिपोर्टिंग समय-पर है या नहीं, वित्तीय विवरण/ऑडिट की उपलब्धता है या नहीं, और फंड-उपयोग का सार समुदाय-स्तर पर भी संप्रेषित होता है या नहीं।

जवाबदेही का दूसरा मानदंड डेटा-ट्रैकिंग और केस-मैनेजमेंट है। बाल श्रम का केस केवल "बचाव" से समाप्त नहीं होता; यह तब समाप्त माना जा सकता है जब बच्चा सुरक्षित हो, स्कूल में नियमित हो, और पुनः-श्रम का जोखिम नियंत्रित हो। इसलिए केस-फाइल की पूर्णता, पुनर्वास-योजना, सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग, तथा 6–12–24 महीनों का अनुवर्तन-रिकॉर्ड जवाबदेही का वास्तविक मापक है। [9]

जवाबदेही का तीसरा मानदंड शिकायत-निवारण और बाल-अनुकूल व्यवहार है। बाल सहायता सेवा का ढाँचा यह स्पष्ट करता है कि आपात सहायता के साथ-साथ दीर्घकालिक सहायता-सेवाओं से जोड़ना जरूरी है। [18] स्वयंसेवी संगठनों का उत्तरदायित्व यह है कि वे बच्चे-केंद्रित दृष्टि अपनाएँ, गोपनीयता सुनिश्चित करें, और हस्तक्षेप को दंडात्मक नहीं बल्कि संरक्षणात्मक बनाए रखें। यहाँ मूल्यांकन संकेतक यह

© Copyright @ Authors

हैं कि संगठन के पास स्पष्ट शिकायत-प्रक्रिया है या नहीं, बच्चों/परिवारों को उसके बारे में बताया जाता है या नहीं, और शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई का प्रमाण है या नहीं।

जवाबदेही का चौथा मानदंड सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक मानदंड परिवर्तन है। बाल श्रम कई बार "सामान्य" मानकर टिकता है, इसलिए समुदाय-स्तर पर निगरानी-संस्कृति, विद्यालय-समुदाय संबंध, और स्थानीय नेतृत्व के साथ संवाद आवश्यक है। रोकथाम-केंद्रित कार्यक्रमों का अनुभव यह बताता है कि समुदाय-आधारित हस्तक्षेप स्कूल-अधिकार मजबूत कर सकते हैं और बाल श्रम के सामाजिक स्वीकार को घटा सकते हैं। [19]

7. प्रभाव का मूल्यांकन

प्रभाव-मूल्यांकन में सबसे बड़ा भ्रम तब पैदा होता है जब प्रभाव को "आउटपुट" से मापा जाता है, जैसे बचाए गए बच्चों की संख्या, आयोजित बैठकों की संख्या या वितरित सहायता। ये आउटपुट आवश्यक हैं, पर वे यह नहीं बताते कि बच्चा वास्तव में श्रम-चक्र से बाहर आया या नहीं। प्रभाव का वास्तविक मापक स्कूल-निरंतरता, सीखने-समर्थन, और पुनः-श्रम में लौटने की रोकथाम है। NCLP-संबंधी अध्ययन और दिशा-निर्देशों की भावना यही है कि मुख्यधारा शिक्षा में टिकाऊ समावेशन अंतिम लक्ष्य है। [9], [10]

इस संदर्भ में प्रभाव-संकेतक तीन स्तरों पर रखे जाने चाहिए। पहले स्तर पर तत्काल सुरक्षा-संकेतक होते हैं, बचाव के बाद सुरक्षित स्थान, चिकित्सकीय सहायता, दस्तावेजीकरण और बाल-कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण। दूसरे स्तर पर शिक्षा-निरंतरता संकेतक होते हैं, पुनःनामांकन, उपस्थिति, कक्षा-उपयुक्त समायोजन, सीखने-समर्थन, और 12 महीनों तक टिकाव। तीसरे स्तर पर टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक संकेतक होते हैं, परिवार की सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग, आजीविका-स्थिरीकरण की दिशा में सहायता, और 24 महीनों तक पुनः-श्रम में लौटने की रोकथाम।

कई संदर्भों में बचाव के बाद वित्तीय सहायता या पुनर्वास-सहायता का उल्लेख सार्वजनिक रूप से आता है; पर ऐसी सहायता यदि अनुवर्तन और परिवार-समर्थन से नहीं जुड़ती, तो उसका प्रभाव अल्पकालिक रह सकता है। [14], [15], [16] इसलिए प्रभाव-मूल्यांकन में यह देखना आवश्यक है कि संगठन सहायता-वितरण के बाद स्कूल-टिकाव और परिवार-समर्थन को कैसे सुनिश्चित करते हैं।

एक और महत्त्वपूर्ण प्रभाव-क्षेत्र वैधानिक प्रतिरोध-निर्माण है। यदि नियोक्ता या मध्यस्थ को वास्तविक दंड-भय नहीं होगा, तो बाल श्रम लौटने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में संगठनों की भूमिका अभियोजन-समर्थन, साक्ष्य-संग्रह, और पीड़ित-सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण होती है, ताकि प्रवर्तन-क्षमता मजबूत हो और सामाजिक संदेश स्पष्ट हो। [1], [9]

© Copyright @ Authors

8. बिहार-विशिष्ट निष्कर्ष

द्वितीयक साक्ष्यों से तीन प्रमुख कमजोर कड़ियाँ सामने आती हैं। पहली कमजोर कड़ी बचाव के बाद अनुवर्तन है। कई प्रणालियाँ बचाव पर केंद्रित होती हैं, पर स्कूल-टिकाव और परिवार-समर्थन के बिना पुनः-श्रम का जोखिम बना रहता है। दिशा-निर्देश निगरानी-ट्रैकिंग की आवश्यकता पर बल देते हैं, पर जमीनी स्तर पर यह संसाधन-निर्भर और समन्वय-निर्भर है। [9]

दूसरी कमजोर कड़ी डेटा-विश्वसनीयता है। कुछ संगठन विस्तृत वार्षिक रिपोर्टों, केस-अध्ययनों और साझेदारी-विवरण के साथ अपने काम को प्रस्तुत करते हैं, पर कई छोटे/स्थानीय संगठनों में दस्तावेजीकरण कमजोर होता है। [11], [12] इससे प्रभाव-दावों का सत्यापन कठिन हो जाता है और जवाबदेही का स्तर असमान बन जाता है।

तीसरी कमजोर कड़ी सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग है। बाल श्रम का आर्थिक दबाव अक्सर परिवार की नकद-जरूरत, ऋण-दबाव और भोजन-असुरक्षा से जुड़ा होता है। यदि संगठन बच्चे को स्कूल में जोड़ दे पर परिवार की जोखिम-स्थिति वही रहे, तो बच्चा फिर काम में लौट सकता है। इसलिए प्रभावी संगठन वे हैं जो केस-मैनेजमेंट में सामाजिक सुरक्षा-लिंकिंग और परिवार-समर्थन को अनिवार्य घटक बनाते हैं। [9], [18]

9. नीति-अनुशंसाएँ

बिहार में बाल श्रम उन्मूलन हेतु स्वयंसेवी संगठनों के मूल्यांकन के लिए एक मानकीकृत "न्यूनतम पैकेज" आवश्यक है। इस पैकेज में वैधानिक पारदर्शिता, केस-मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, गोपनीयता-मानक, और शिकायत-निवारण अनिवार्य किए जाने चाहिए। [5], [6], [18] इसी के साथ प्रभाव-मापन के लिए 12 और 24 महीनों के संकेतक, स्कूल-टिकाव, सीखने-समर्थन, और पुनः-श्रम-वापसी, को प्राथमिक परिणाम के रूप में अपनाया जाना चाहिए। [9], [10]

बिहार-स्तर पर जिला प्रशासन और संगठनों के बीच साझेदारी-समझौते में यह शर्त जोड़ी जा सकती है कि प्रत्येक केस की साझा फाइल बने, और विद्यालय/बाल-कल्याण समिति/हेल्पलाइन के साथ साझा अनुवर्तन-कैलेंडर तय हो। यह व्यवस्था जवाबदेही को संस्थागत करेगी और प्रभाव को टिकाऊ बनाएगी। [9], [7]

इसके अतिरिक्त, समुदाय-स्तर पर रोकथाम-केंद्रित मॉडल, विद्यालय-समुदाय संवाद, बाल-समितियाँ, और स्थानीय निगरानी, को केवल परियोजना-गत गतिविधि नहीं, बल्कि नियमित सामुदायिक शासन का हिस्सा बनाना चाहिए। [19] अंततः, स्वतंत्र तीसरे-पक्ष मूल्यांकन की व्यवस्था, जिला-स्तर पर वार्षिक प्रभाव-ऑडिट, जवाबदेही और प्रभाव के बीच की दूरी कम कर सकती है, क्योंकि यह दावों को सत्यापन-योग्य बनाती है। [10]

10. निष्कर्ष

यह मूल्यांकन-अध्ययन निष्कर्ष देता है कि बिहार में बाल श्रम उन्मूलन हेतु स्वयंसेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण है, पर उसकी वास्तविक उपयोगिता जवाबदेही और

© Copyright @ Authors

प्रभाव के संयुक्त मानदंड पर निर्भर करती है। प्रभाव वही नहीं है जो केवल बचाव-संख्या में दिखता है; वास्तविक प्रभाव वह है जो बच्चे को दीर्घकालिक रूप से श्रम-चक्र से बाहर रखे, स्कूल-में-टिकाव सुनिश्चित करे और पुनः-श्रम-वापसी को रोक सके। [9], [10] जवाबदेही वही नहीं है जो केवल पंजीकरण-सूची में नाम होने से बन जाती है; वास्तविक जवाबदेही वह है जो पारदर्शी वित्तीय व्यवहार, पीड़ित-केंद्रित शिकायत-निवारण, डेटा-ट्रैकिंग और समुदाय-उत्तरदायित्व में दिखाई दे। [5], [18]

अतः बिहार में अगले चरण की रणनीति को "अभियान-केंद्रित" से आगे बढ़कर "परिणाम-आधारित अनुवर्तन" और "जवाबदेही-आधारित शासन" की ओर जाना चाहिए, ताकि स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी टिकाऊ, सत्यापन-योग्य और अधिकार-केंद्रित बन सके।

संदर्भ

1. भारत सरकार, "बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986," आधिकारिक अधिनियम पाठ, पृ. 1–10.
2. भारत सरकार, "बाल श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2016," आधिकारिक अधिनियम पाठ, पृ. 1–6.
3. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, "बाल श्रम: वैश्विक आकलन 2024, प्रवृत्तियाँ और आगे का मार्ग," संयुक्त रिपोर्ट, 2025, पृ. 32–62.
4. बिहार सरकार, "बिहार राज्य बाल-अधिकार कार्ययोजना," सरकारी दस्तावेज़, 2017, पृ. 112–136.
5. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, "विदेशी अंशदान नियमन संबंधी ऑनलाइन सेवाएँ," आधिकारिक वेब-पृष्ठ.
6. भारत सरकार, "स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण-भंडार," आधिकारिक सेवा-विवरण.
7. भारत सरकार, "बाल श्रम उन्मूलन हेतु शिकायत/प्रवर्तन मंच," आधिकारिक पोर्टल.
8. भारत सरकार, "राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संबंधी आधिकारिक पृष्ठ," आधिकारिक पोर्टल.
9. भारत सरकार, "संशोधित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना दिशानिर्देश (01.04.2016 से प्रभावी)," दिशानिर्देश, 2016, पृ. 51–62.
10. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, "राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की प्रभावशीलता पर अध्ययन," रिपोर्ट, 2023.

© Copyright @ Authors

11. बचपन बचाओ आंदोलन, "वार्षिक प्रतिवेदन (वार्षिक रिपोर्ट)," रिपोर्ट, पृष्ठ-क्रम स्रोत-दस्तावेज़ अनुसार.
12. चाइल्डलाइन, "वार्षिक प्रतिवेदन," आधिकारिक वेब-पृष्ठ/रिपोर्ट-सूची.
13. चाइल्डलाइन, "कॉल-विश्लेषण/कार्य-सार," रिपोर्ट.
14. बिहार में बचाव/पुनर्वास सहायता से संबंधित समाचार-रिपोर्टें, वेब-रिपोर्टिंग.
15. बिहार में सहायता-राशि/पुनर्वास व्यवस्था पर समाचार-रिपोर्टें, वेब-रिपोर्टिंग.
16. बिहार में पुनर्वास/योजना-आच्छादन पर समाचार-रिपोर्टें, वेब-रिपोर्टिंग.
17. बिहार सरकार/पोर्टल, "बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली," आधिकारिक पोर्टल.
18. "बाल सहायता सेवा (हेल्पलाइन) के बारे में," आधिकारिक वेब-पृष्ठ.
19. "बाल श्रम समाप्ति और शिक्षा अधिकार" से संबंधित रोकथाम-केंद्रित कार्यक्रम-विवरण, आधिकारिक वेब-पृष्ठ.

© Copyright @ Authors